



सराहनीय कार्य, कानपुर देहात

दिनांक- 19.10.2026

➤ थाना रसूलाबाद पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए गैर-इरादतन हत्या की घटना में वांछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

कृपया अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात में अपराध नियन्त्रण की दिशा में घटनाओं की रोकथाम व वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, दिनांक 21.07.2026 को थाना रसूलाबाद पर वादी श्री संदीप पुत्र जयकरन सिंह निवासी ग्राम रिवरी, इटैली थाना रसूलाबाद, जनपद कानपुर देहात द्वारा लिखित तहरीर बावत वादी व उसके पिता जयकरन सिंह के साथ अभियुक्तों द्वारा एक राय होकर गाली गलौच कर मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में दी गयी तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 0262/2026 धारा 115(2)/351(3)/352/191(2) बीएनएस बनाम 1. अरविंद कुमार पुत्र राम सिंह, 2. कुंवर सिंह पुत्र रामसिंह, 3. अमरेश पुत्र इन्द्रपाल, 4. दुर्गेश पुत्र इन्द्रपाल, 5. वीरेन्द्र पुत्र रामसिंह, 6. रामबली पुत्र सूबेदार, 7. रोहिताश पुत्र सूबेदार समस्त निवासीगण ग्राम रिवरी, इटैली थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। थाना रसूलाबाद पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए मुकदमा उपरोक्त में मेडिकल परीक्षण के आधार पर धारा 118(1)/117(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी। दौराने विवेचना मजरुब जयकरन सिंह पुत्र स्व0 छोटेलाल निवासी ग्राम रिवरी इटैली थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात की मारपीट से आयी चोटों के कारण दिनांक 19.09.2026 को इलाज के दौरान मृत्यु हो जाने पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 105 बीएनएस की बढोत्तरी की गयी।

दिनांक 18.10.2026 को थाना रसूलाबाद पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त रामबली पुत्र सूबेदार, निवासी ग्राम रिवरी इटैली, थाना रसूलाबाद, जनपद कानपुर देहात को ग्राम मनाववा मोड़ से 100 मीटर पहले, थाना क्षेत्र रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात से गिरफ्तार किया गया। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन कर सार्थक प्रयास किये जा रहे हैं। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का विवरण –

1. रामबली पुत्र सूबेदार, निवासी ग्राम रिवरी इटैली, थाना रसूलाबाद, जनपद कानपुर देहात, उम्र करीब 49 वर्ष।

अभियुक्त रामबली उपरोक्त का अपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 0262/2026 धारा 105/115(2)/191(2)/118(1)/117(2)/351(3)/352 बीएनएस थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात।

गिरफ्तार करने वाली थाना रसूलाबाद पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री राजेश प्रताप सिंह
2. का0 772 नेत्रपाल
3. का0 856 बबलू सिंह